बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बाका)–11/2021 9395 पटना, दिनांक :- 22/12/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 928 दिनांक 25.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री चंदन कुमार एवं अन्य साकिन–सरूका, पोस्ट–सबलपुर, थाना–पंजवारा, जिला–बांका द्वारा श्री भारतेन्दू कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02988) के विरूद्ध सही जमीन को गलत सर्वे कर फिर से उसे सुधार करने के नाम पर ग्रामीण रैयतों से रूपये की मांग करने एवं पैसे नहीं देने पर रैयतों की जमीन को बिहार सरकार कर देने संबंधी लगाए गए आरोप की जांच सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0) एवं राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो से करायी गयी है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोप प्रमाणित पाए जाने के आलोक में संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुसंशा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 6258 दिनांक 11.08.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत एवं बेबुनियाद बताया गया है एवं यह उल्लेख किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो तथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेश के अनुसार खेसरा पंजी तैयार किया गया है। साथ ही यह उल्लेख किया गया है कि श्री चंदन कुमार द्वारा जो इनपर आरोप लगाया गया है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है और न ही बंदोबस्त पदाधिकारी के पास मेरे द्वारा गलत सर्वे करने का साक्ष्य है। स्पष्टीकरण के साथ याद्दाश्त पंजी की प्रति संलग्न की गयी है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 7079 दिनांक 15.09.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका से मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 1517 दिनांक 25.11.2023 द्वारा मंतव्य दिया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने श्री कुमार के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारी होने, पदाधिकारी से अभ्रद व्यवहार करने एवं अनुशासनहीनता बरतने के आलोक में स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप एवं मंतव्य तथा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि श्री कुमार द्वारा अपने उपर लगाए गए आरोपों को गलत एवं बेबुनियाद बताया गया है। जबकि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके उपर लगाए गए आरोपों की जांच कर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है एवं अपने मंतव्य में इनके विरूद्ध पदाधिकारियों से अभद्र व्यवहार करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासहीनता बरतने के साथ कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए पुनः कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा बार–बार इनके विरूद्ध विपरित प्रतिवेदन देने से स्पष्ट है कि ये अनुशासनहीन एवं अभद्र कर्मी है।

विशेष सर्वेक्षण जैसे अतिसंवेदनशील कार्य में ऐसे कर्मियों के संलग्न रहने से इनके कृत कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में इनका संविदा में बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)"** के आलोक में श्री भारतेन्दू कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02988) का संविदा समाप्त किया जाता है।

22/12/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कु0मु0630

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–11 / 2021 9395 पटना, दिनांक :– 22/12/2023

प्रतिलिपि :– श्री भारतेन्दू कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02988), बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–11 / 2021 9395 **पटना, दिनांक** :– 22/12/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–11 / 2021 9395 **पटना, दिनांक** :– 22/12/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
21/12/23